

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक—नर्सिंग/नर्स-1/एम-1485/26004/2025/80

दिनांक—10/3/2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर।

विषय:—श्रीमति मैरी रोज, व0न0310सेवानिवृत्त के अवकाश प्रकरण विलम्ब से भिजवाने एवं सेवासत्यापन नहीं किये जाने के कारण आज दिवस तक पेंशन स्वीकृत नहीं होने के संबंध में।

संदर्भ:—निदेशालय के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 15.02.2024, 105 दिनांक 14.03.2024, 203 दिनांक 11.03.2024 तथा 269 दिनांक 25.07.2024 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र के क्रम में उप अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर के द्वारा उनके पत्रांक 2739 दिनांक 22.11.2024, 130 दिनांक 17.01.2025 तथा 390 दिनांक 15.02.2025 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ जिला अलवर को श्रीमती मैरी रोज, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जो दिनांक 30.06.2021 सेवानिवृत्त हो चुकी है, का दिनांक 01.02.2013 से 27.05.2013 तक एवं 06.09.2013 से 30.09.2013 तक सेवा सत्यापन पूर्ण कर भिजवाने हेतु बार बार लिखा जाकर प्रति आपको पृष्ठांकित की जाकर निदेशालय को भी भिजवाई गई है, परन्तु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ के द्वारा आज दिवस तक भी सेवा सत्यापन कर नहीं भिजवाई गई, जिससे कार्मिका को आज दिवस तक भी पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाई है। प्रकरण के संबंध में निदेशालय के उपरोक्त संन्दर्भित पत्रों के द्वारा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भी चाहे गये थे जो भी आज दिवस तक अपेक्षित है। इससे यह ज्ञात होता है कि आपके द्वारा उच्चाधिकारियों के दिये गये निर्देशों/ आदेशों की पालना नहीं करते हुए अवेहलना की जा रही है, जो उचित नहीं है।

अतःअन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अविलम्ब आरोप पत्रादि तैयार कर निदेशालय को भिजवावे एवं उपरोक्त अवधी की सेवा सत्यापन कराते हुए उप अधीक्षक मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करावे। पेंशन में हो रहे विलम्ब के लिये आप रवेय जिम्मेवार होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:—10/3/2025

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-1/एम-1485/26004/2025/80

प्रतिलिपी:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक(जन स्वा0)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, मुख्यालय को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर को उनके पत्रांक 2739 दिनांक 22.11.2024, 130 दिनांक 17.01.2025 तथा 390 दिनांक 15.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय अनुभाग अराजपत्रित/राजपत्रित मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को संबंधित को मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

DFA

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-03-2025 01:41:57